रामगोपाल बनाम केसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दीवानी मुकदमा – 81/2017
04.09.23 [illegible]	वकील प्रतिवादी श्री अभिषेक कुमावत एड0 द्वारा प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पेश किया गया। वकील प्रतिवादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र मिशल तलबी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी दिनांक 26.09.2023 से तलब होकर आज पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो कि हमफिता/संयोजित प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 है, के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की तामिल असालतन करवाकर वकील प्रतिवादी श्री अभिषेक कुमावत एड0 द्वारा पेश की गई। साधारण तरीके से सम्यक तामिल हो जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक भू.अ./23/1334 दिनांक 25.08.2023 द्वारा विधिक विभांजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी श्री अभिषेक कुमावत एड0 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये तथा पर वकील वादी/प्रतिवादी व पक्षकारान ने प्रकरण बंटवारा से संबंधित होने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से प्रकरण हाजा में बहस आज ही सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। हमने वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया व उक्त की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण के बुजुर्गान व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा के हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्तागण [illegible] जाहिर किये जाने वकील प्रतिवादीगण द्वारा विभा[illegible] प्रस्ता[illegible] के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कि[illegible] आदेशिका [illegible] करते हुये अपनी सहमति प्रक[illegible] है। अत: [illegible] वादीगण संख्या 1, 5 व 6 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त [illegible]क विभाजन प्रस्ताव अनु[illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 व 6 के वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति पर की गई प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन [illegible] स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वादीगण का वाद तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 04/09/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.09.26 15:42:58 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
81/2017	2017/01368	10.10.2013	04.09.2023 (अन्तिम सिक्की)

उनवान प्रकरण

1. रामगोपाल पुत्र नारायण – (मृत्तक)
   1/1 हीरा देवी पत्नी स्व0 रामगोपाल
   1/2 उषा देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल
   1/3 आशा देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल
   1/4 रमेश पुत्र स्व0 रामगोपाल
   1/5 रवि पुत्र स्व0 रामगोपाल
2. बंशीधर पुत्र नारायण
3. रूड़मल पुत्र सुवाराम
4. प्रभूदयाल पुत्र सुवाराम
5. फूली देवी पत्नी स्व0 सुवाराम

   समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीगण——

बनाम

1. कज्जू पुत्र रामदेव –(मृत्तक)
   1/1 कैलाश पुत्र स्व0 कज्जू
   1/2 गिरधारी पुत्र स्व0 कज्जू
   1/3 औमप्रकाश पुत्र स्व0 कज्जू
   1/4 सुभाष पुत्र स्व0 कज्जू
   1/5 महेश कुमार पुत्र स्व0 कज्जू

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

04/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1/6 माली देवी पुत्री स्व0 कज्जू

1/7 छोटी देवी पुत्री स्व0 कज्जू

1/8 मनीषा देवी पत्नी स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

1/9 चेतन पुत्र स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

1/10 सुनिल पुत्र स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

1/11 अनिल पुत्र स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

2. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

3. पटवारी हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

5. जोधाराम पुत्र कजोड़मल जाति रैगर निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर

6. सीताराम पुत्र मूलचन्द जाति हरिजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित : —

श्री कमलेश कुमार शर्मा —। एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री फूलचंद सामोता एड0 प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/11 अभिभाषक (हमफिता विचाराधीन प्रकरण 79/2017 BT NO. 2017/01375)

श्री अभिषेक कुमावत एड0 प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4

वादपत्र बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

(नोट : इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण मुकदमा संख्या 81/2017 बी0टी0नं0 2017/01368 उनवानी प्रकरण रामगोपाल बनाम कज्जू वगै0, मुकदमा संख्या 79/2017 बी0टी0नं0 2017/01375 उनवानी प्रकरण कज्जू बनाम रामगोपाल वगै0 दोनों प्रकरण एक ही वादग्रस्त आराजी भूमियां अवस्थित तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर से संबंधित होने से दोनों प्रकरणों को न्यायालय आदेश दिनांक 10.10.2013 को हमफिता/संयोजित (कन्सोलिडेटेड) किया जाकर दोनों प्रकरणों में एक साथ ही निर्णय पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.730 है0 तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 के नाम से अंकित है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 की अविभाजित भूमियां थी। उक्त भूमियों का अभी विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त वर्णित भूमियों को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवाये भूमियां कीमती होने के कारण दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को विक्रय करने एवं उनका कब्जा करवाने व भूमियों के विशिष्ट भाग पर निर्माण करने व करवाने तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि परिवर्तित करने व निर्माण करने की धममियां दे रहा हैं व वादीगण को उनके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकियां दे रहा हैं व कुचेष्टा कर रहा है। जिसको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कर कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। वादीगण को प्रतिवादी गण ने हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादी नं0 1 मान नहीं रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

01/09/23

वर्णित भूमि मुतनाजा का विधिक बंटवारा नहीं होने से वादीगण को सख्त हकतलफी हैं। भूमि का विधिक विभाजन नहीं होने से व प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि मुतनाजा मे बेजा हरकतों से वादीगण का भूमि को शामिल में काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का विधिक तकास्मा करवाया जाकर हिस्सेनुसार तन्हा खातेदारी अलग–अलग अंकित किया जाना व उसके अनुसार अलग–अलग कब्जा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को बिना विधिक बंटवारे के शामलाती अविभक्त उक्त वर्णित भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर निर्माण करने, दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को बैचान करने या स्वयं का विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने व भूमि को खुर्द–बुर्द करने का कोई कानूनी हक अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 बिना विधिक बंटवारा कराये उपर्युक्त वर्णित भूमियों को दीगर को बैचान करने एवं जबरन विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने पर आमादा है। कहने सुनने से मान नहीं रहा है तथा धमकी दे रहा हैं कि मैं वादीगण को शामलाती भूमि से बेदखल करूंगा तथा दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को विक्रय करूंगा। प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ठ जगह पर स्वयं का कब्जा कर लिया या निर्माण कर लिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया तो वादीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गंभीर रूप से प्रभावित होगें। वादीगण अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेंगे। अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, जिससे वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादी की उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 05.10.2013 को बिना विधिक विभाजन के भूमियों के विशिष्ठ एव उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से कब्जा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण करने व निर्माण करने तथा कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील करने एवं अन्तरित करने की धमकी देने से बिनाय दावा पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.730 है0 तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावें तथा अलग-अलग सीव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाया जावें। प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.730 है0 तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान को बिना विधिक बंटवारा कराये दीगर अजनबी, भूमाफियावृत्ति के लोगों को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख से अन्तरित नहीं करें, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखें, ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ठ भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें, ना ही उक्त भूमियों के किसी भी भू-भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, ना ही दीगर से करावें, ना ही वादीगण के हिस्से के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई मजाहमत स्वयं करें ना ही दीगर से करावें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें या करावें जिससे वादी के हक हकूकों पर कोई विपरीत असर पड़ता हो। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में वादी संख्या 1 रामगोपाल पुत्र नारायण की फौतगी होने पर उसके कानूनी वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर वादी वादी संख्या 1/1 ता 1/5 संयोजित किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 कज्जू पुत्र रामदेव की फौतगी होने पर उसके कानूनी

वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया जाकर प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/11 संयोजित किया। अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमावत ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर जोधाराम पुत्र कजोड़मल जाति रैगर निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को प्रतिवादी संख्या 5 एवं सीताराम पुत्र मूलचन्द जाति हरिजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रतिवादी संख्या 6 प्रतिस्थापित/संयोजित किया गया। वकील वादीगण ने प्रकरण बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/11 की ओर से श्री फूलचंद सामोता एड0 और प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से श्री अभिषेक कुमावत् एड0 ने आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर सहमती व्यक्त की। उक्त प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान की आपसी सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 18.05.2023 प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रान/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग [illegible] से तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1334 दिनांक 25.08.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.09.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर
श्रीमाधोपुर

किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की तामिल साधारण तरीके से तामिल करवाये जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील पक्षकारान ने प्रकरण के बंटवारा से संबधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुरेंजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण के बुजुर्गान व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्तागण व पक्षकारान द्वारा अपनी सहमति जाहिर किये जाने, वकील प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुये अपनी सहमति प्रकट की है। अतः वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 व 6 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार पृथक घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 व 6 के वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति पर की गई प्रारंभिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

04/09/23

वादीगण का वाद तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 25.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	486	1. कज्जू पुत्र रामदेव हिस्सा 1/6 जाति भंगी सा देह खातेदार 2. जोधाराम पुत्र कजोड़मल हिस्सा 1/4 जाति रैगर सा. आसपुरा खातेदार 3. नारायण पुत्र रामदेव हिस्सा 1/6 जाति भंगी सा0 देह खातेदार 4. सुवा पुत्र रामदेव हिस्सा 1/6 जाति भंगी सा0 देह खातेदार 5. सीताराम पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/4 जाति हरिजन सा0 अजीतगढ़ खातेदार	1493	0.73	बारानी 2	02.74
		योग	किता –1	0.73	—	02.74

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

04/09/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

... के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

क्रम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
[illegible]	[illegible]	1. जोधाराम पुत्र कजोड़मल हिस्सा 1/4 जाति रैगर सा. आसपुरा खातेदार 2. सीताराम पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/4 जाति हरिजन सा0 अजीतगढ़ खातेदार	1493 /1	0.3650	बारानी 2	01.37
		योग	किता –1	1.355		01.37
2.	974	1. कैलाश पुत्र कज्जू हिस्सा 1/24 2. गिरधारी पुत्र कज्जू हिस्सा 1/24 3. औमप्रकाश पुत्र कज्जू हिस्सा 1/24 4. सुभाष पुत्र कज्जू हिस्सा 1/24 5. महेश पुत्र कज्जू हिस्सा 1/24 6. माली देवी पुत्री कज्जू हिस्सा 1/24 7. छोटी देवी पुत्री कज्जू हिस्सा 1/24 8. मनीषा देवी पत्नी पूरणमल हिस्सा 1/96 9. चेतन पुत्र पूरणमल हिस्सा 1/96 10.सुनिल पुत्र पूरणमल हिस्सा 1/96 11.अनिल पुत्र पूरणमल हिस्सा 1/96 12.बंशी पुत्र नारायण हिस्सा 1/27 13.रमेश पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/108 14.रवि पुत्र रामगोपाल हिस्सा 1/108 15.उषा पुत्री रामगोपाल हिस्सा 1/108 16.आशा पुत्री रामगोपाल हिस्सा 1/108 17.बिदामी पुत्री नारायण हिस्सा 1/27 18.कमला पुत्री नारायण हिस्सा 1/27 19.प्रेम पुत्री नारायण हिस्सा 1/27 20.भगोती पुत्री नारायण हिस्सा 1/27 21.पांची पुत्री नारायण हिस्सा 1/27 फौत 22.संतोष पुत्री नारायण हिस्सा 1/27	1493 /2	0.3650	बारानी–2	01.37

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

		23.मंजू पुत्री नारायण हिस्सा 1/27 फौत 24.रूडमल पुत्र सुवाराम हिस्सा 1/21 25.प्रभूदयाल पुत्र सुवाराम हिस्सा 1/21 26.फलीदेवी पत्नि स्व. सुवाराम हिस्सा 1/21 27.शान्ति पुत्री सुवाराम हिस्सा 1/21 28.गीता पुत्री सुवाराम हिस्सा 1/21 29.चौथी पुत्री सुवाराम हिस्सा 1/21 30.मीरा पुत्री सुवाराम हिस्सा 1/21				
		योग	किता –1	0.3650	—	01.37

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1334 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

04/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:58 IST
Reason: SelfAttested

04/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)